JAIPUR METRO

जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड

एडमिन बिल्डिंग, मेट्रो डिपो, भृगु पथ, मानसरोवर, जयपुर–302020
E-mail: pro@jaipurmetrorail.in **Phone No :** 0141-2822760

2021/03/351–प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 28.03.2021

जयपुर मेट्रो ने 29.03.2021 को धुलण्डी (होली) पर यात्री सेवा (प्रातः 06.20 बजे से दोपहर 02.10 तक) आशिंक रूप से की बंद तथा छोटी चौपड़ स्थित कलादीर्घा पूर्णत् बंद।

जयपुर 28 मार्च। जयपुर मेट्रो राष्ट्रीय पर्वों, त्यौहारों एवं उत्सवों के दिनों में भी जनता के प्रति अपना सामाजिक सरोकार पूरी तरह निभाता रहा है। इसी कड़ी में आगामी 29 मार्च धुलण्डी के दिन निर्धारित टाईम टेबल सुबह 06.20 बजे से दोपहर 02.10 बजे तक मेट्रो ट्रेन की यात्री सेवाएं बंद रहेगी। इसके पश्चात् दोपहर 02.10 बजे से रात्री 09.20 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के अन्तराल में अनवरत 89 मेट्रो ट्रेने संचालित की जायेगी।

इसके साथ ही छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार संख्या 2 पर स्थित जयपुर मेट्रो कलादीर्घा पर्यटकों के लिए बंद रहेगी।

जयपुर के नागरिकों से अपील की जाती है कि धुलण्डी के दिन वे अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के संग मेट्रो में यात्रा का आनन्द लें, लेकिन मेट्रो परिसर, प्लेटफार्मों एवं मेट्रो ट्रेनों में रंग डालने, रंग खेलने एवं हुडदंग करने की पूरी तरह मनाही है। मेट्रो यात्रियों के लिए गुलाल, रंग एवं पानी से भरी पिचकारियां–गुब्बारे एवं बोतलें ले जाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा रंग से सने कपड़ो से मेट्रो परिसर एवं ट्रेनों को गंदा करने की भी मनाही है। नशाधीन स्थिति में तो मेट्रो परिसर में प्रवेश ही वर्जित है।

मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन एवं मेन्टीनेंस) एक्ट, 2002 के तहत् जहां मेट्रो ट्रेनों एवं इसके परिसरों को गंदा करने पर न्यूनतम 200 रूपये का जुर्माना निहित है, वहीं नशाधीन अवस्था में पाये जाने तथा कोई भी अशोभनीय व्यवहार एवं कार्य करने पर 500 रूपये के जुर्माने के साथ टिकट जब्ती एवं ट्रेन से उतारने का भी प्रावधान है। जयपुर मेट्रो पुलिस आगामी 29 मार्च धुलण्डी के दिन मेट्रो परिसरों एवं ट्रेनों में सघन टिकट चेकिंग के साथ नशाधीन स्थिति में आने वाले यात्रियों की ब्रेथलाईजर उपकरण से जांच भी करेगी।

जयपुर मेट्रो के प्रबंध निदेशक श्री मुकेश कुमार सिंघल ने यात्रियों को धुलण्डी की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि मेट्रो में सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखने का पूरा इंतजाम किया गया है। इसकी निगरानी और शत–प्रतिशत लागू करने हेतु मेट्रो कर्मचारी एवं मेट्रो पुलिस मौजूद रहेगें। जयपुर मेट्रो प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का सख्ती से पालन किया जायेगा।

जनसम्पर्क अधिकारी